

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 123/2022

उनवान

1. हनुमान पुत्र रूमाल,
  2. मयंक ना.वा. पुत्र शंकर जरियें माता
  3. कान्ता पत्नी शंकर जाति जाट नि० नान्दला, नसीराबाद
- वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. किशनगोपाल पुत्र नाथूलाल,
2. रामवल्लभ पुत्र नाथूलाल,
3. सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल जाति महाजन नि० नान्दला, नसीराबाद,
4. उप पंजीयक, नसीराबाद
5. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 1 से 3 अनुपस्थित  
4 व 5 जरिये राज० पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू  
राज० अधि० 1956

—: निर्णय :-

दिनांक :- 12/04/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा की निम्न आराजी वादी की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है :-

चौसाला ख०न०	रकबा	वर्किंग ख०न०	रकबा	हाल ख०न०	रकबा
933	2-6-0	1215	3-17-0	1655	0.26
937	1-11-0			1656	0.18
				1657	0.18

उक्त आराजी के चौसला खसरा नम्बर 933 व 937 वादीगण के पूर्वज रूमाल के द्वारा दिनांक 28.07.1976 को जरियें विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से कय की है। क्रेता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण हैं। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का बैचान वादी के पूर्वज को कर कब्जा व दखल सौंप दिया था। आराजी मुतनाजा को विक्रय पत्र की पालना में वादीगण/पूर्वज के नाम करने के बजाय त्रुटीपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दी जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे हैं व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को

—2

*Amg*  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद ( अजमेर )

घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र व शजरा पेश किये व साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने भी प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल ने जरियें विक्रय पत्र चौसाला खसरा नम्बर 933 रकबा 2-6-0 व 937 रकबा 1-11-0 की आराजी वादीगण के पूर्वज रुमाल पुत्र हजारी को बैचान कर कब्जा व दखल सौंप दिया था। चौसाला खसरा नम्बर 933 व 937 के वंकिंग खसरा नम्बर 1215 रकबा 3-17-0 वंकिंग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में है। तथा हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 1655/0.26, 1656/0.18 व 1657/0.18 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। चौसाला जमाबंदी में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व अन्य व्यक्तियों नाम खातेदारी है। कंता रुमाल पुत्र हजारी की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है वादी द्वारा इसके समर्थन में शजरा भी पेश किया है। वादीगण के पूर्वज रुमाल ने विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी उद्घोषणा चाही है किन्तु विक्रय पत्र अनुसार वादीगण के पूर्वज को प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल द्वारा ही विक्रय किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजी मुतनाजा का विक्रय वादीगण/पूर्वज को नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र पंजीकृत है। जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ही भूमि का बैचान किया जाना सिद्ध होने से वादीगण प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से तक आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी हैं।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1655 रकबा 0.26, 1656 रकबा 0.18 व 1657 रकबा 0.18 की आराजी पर वादीगण का वाद "आंशिक स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इव्दाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हनुमान बनाम किशनगोपाल

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राज० अधि० 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 123/2022

पेश करने की दिनांक - 23.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1655 रकबा 0.26, 1656 रकबा 0.18 व 1657 रकबा 0.18 की आराजी पर वादीगण का वाद "आंशिक स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 04 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
वाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
वाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद